

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22.11.2020

आज दिनांक 22/11/2020 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र नई किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 03 परिवारों को बिखरने से बचाया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 22/11/2020 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र /नई किरण का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 10 पत्रावली या विचार प्रस्तुत हुई जिसमें 09 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। परामर्श के बाद 03 पत्रावलियों का सफल निस्तारण संभव हुआ। परामर्श के मुख्य परामर्शदाता, श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, श्री विनय कांत मिश्रा, श्री शमशुल हक का सराहनीय योगदान रहा। निस्तारण में श्रीमती मंजू सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना, महिला मुख्य आरक्षी सरोज माला, महिला आरक्षी ब्यूटी गिरी, महिला आरक्षी सविता सिंह, महिला आरक्षी नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण-

1. नगमा खातून पत्नी नफीस निवासी नौगढ़ बाजार हमीद नगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।
2. सन्ध्या देवी पत्नी रमेश निवासी दैजौली थाना उस्का बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
3. अफसाना पत्नी इब्रार निवासी बकुलहवा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22.11.2020

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत की कार्यवाही में 22 शोहदे पकड़े गये।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानों पर गठित टीमों द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 22 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22.11.2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 22 शोहदे पकड़े गये। शोहदों द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गांवों तथा विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसके अंतर्गत जनपद में सभी थानों पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 04- महिला आरक्षी अमिता पटेल एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 06- विभिन्न थानों पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22.11.2020

अवैध शराब के निर्माण व बिक्री को रोकने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दूसरे दिन आज दिनांक 22 नवंबर 2020 को जिला अधिकारी महोदय सिद्धार्थ नगर द्वारा गठित संयुक्त टीम जिसमें उपजिलाधिकारी इटवा, क्षेत्राधिकारी इटवा, और आबकारी निरीक्षक इटवा द्वारा थाना अंतर्गत इटवा, मिश्रौलिया, और गोलहौरा स्थित निम्न दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर स्थित शराब का सरकारी स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया गया बोटलों को आबकारी एप से स्कैन किया गया इसके अतिरिक्त विक्रेता और लाइसेंस धारी को सख्त हिदायत दी गई कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता या मिलावट की जानकारी होने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। विक्रेता और दुकानदारों को दुकान को नियमानुसार संचालित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त अवैध कच्ची शराब बनाने संदिग्ध स्थलों कनकटी बिचाऊपुर सनौली नान कार आदि गांव में छापेमारी की गई। दबिश की सूचना पाते ही अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने वाले फरार हो गए। छापेमारी में बरामद की गई महुआ लहन आदि मौके पर नष्ट किया गया। निरीक्षण और छापेमारी के दौरान गठित टीम के अतिरिक्त थाना प्रभारी इटवा थाना प्रभारी गोलहौरा, थाना प्रभारी मिश्रौलिया के साथ आबकारी और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22.11.2020

दिनांक 22-11-2020 नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत लगाए गए निषेधाज्ञा/लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं फर्फटा भरने वाले वाहनों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-22-11-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 797 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 671 वाहनों का चालान कर कुल 6,85,900/- रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया।

05

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22.11.2020

एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश, श्री मायाराम वर्मा, अ.पु.अ. के दिशा निर्देश व, पुलिस उपाधीक्षक, सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण, श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.11.2020 को समय 16:30 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज चाकू के साथ मझौली सागर के पास से गिरफ्तार कर शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।

06

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22.11.2020

20 शीशी नेपाली शराब नाजायज के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश, श्री मायाराम वर्मा, अ.पु.अ. के दिशा निर्देश व श्री सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण, श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.11.2020 को समय 15:00 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा एक तस्कर अतीक अहमद पुत्र मजीबुल्ला निवासी गौरी थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर को 20 शीशी नेपाली नाजायज शराब के साथ ग्राम गौरी के पास से गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।

07

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22.11.2020

चोरी की बैटरी बेचने के फिराक में लगे 03 अभियुक्तगण हुए गिरफ्तार, चोरी की बैटरी व चाकू बरामद

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सि0नगर व श्री अरुणचन्द, क्षेत्राधिकारी बांसी के पर्यवेक्षण में श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 22/11/2020 को समय 10.20 बजे उ0नि0 शेषनाथ यादव, उ0नि0 अमरेश यादव मय टीम के द्वारा मुखबिरखास की सूचना पर ग्राम नदांव में स्थित बाग के किनारे से अभियुक्तगण 1. मजनु उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र छोटक निवासी ग्राम करमा थाना कोतवाली बांसी सिद्धार्थनगर 2. शाकिर अली पुत्र मो0 अली निवासी ग्राम अयार थाना कोतवाली बांसी सिद्धार्थनगर 3. अब्दुल बारी पुत्र मो0 हयात निवासी ग्राम मनकौरा तिवारी थानापथरा बाजार सिद्धार्थनगर को चोरी की बैटरी जो उक्त अभियुक्तगण बेचने की फिराक में थे, के साथ गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो अदद बैटरी व दो अदद चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 361/2020 धारा 41/411 भा0द0वि0, मु0अ0सं0 362/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 363/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. मजनु उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र छोटक निवासी ग्राम करमा थाना कोतवाली बांसी सिद्धार्थनगर
2. शाकिर अली पुत्र मो0 अली निवासी ग्राम अयार थाना कोतवाली बांसी सिद्धार्थनगर
3. अब्दुल बारी पुत्र मो0 हयात निवासी ग्राम मनकौरा तिवारी थानापथरा बाजार सिद्धार्थनगर

बरामद सामान का विवरण-

1. एक अदद बैटरी 12 बोल्ट INSTRA POWER 6 GEN कीमती करीब 20,000 रु0
2. एक अदद बैटरी 12 बोल्ट POWER STAR कीमती करीब 20,000 रु0
3. दो अदद चाकू नाजायज
4. नगद 220 रु0

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0 नि0 शेषनाथ यादव थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ0 नि0 अमरेश यादव थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
3. हे0का0 सत्यदेव थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
4. का0 देवानन्द यादव थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर